राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5020 / 2022

प्रियंका आलोरिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकूल, जयपुर।
3. सोनू दाधीच, अध्यापक ग्रेड–तृतीय लेवल–प्रथम, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खेतला जी की ढाणी, दूदौड, मारवाड, पाली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिर्राज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–तृतीय लेवल–प्रथम के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रेबारियों की ढाणी, गायेला, अजमेर से राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करखेडी, अजमेर में किया गया है। उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के दुर्भावनापूर्वक व नियम विरूद्ध किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
4. स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। ऐसा कोई आधार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से निजी प्रत्यर्थी को स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर लगभग 4 वर्ष 7 माह से पदस्थापित है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण समुचित अवधि तक पदस्थापित रहने के पश्चात् किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की दुर्भावना, नियम विरूद्धता एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
6. आदेश आज दिनांक.11.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)